



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255636
CG-DL-E-22072024-255636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946

No. 542]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. दक्षिण क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) आंध्र प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 7 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"8.	इंटरफील्ड लैबोरेट्रीज, विशाखापट्टनम पंजीकरण सं. 89/एस/एफएसएसएआई/2024 प्लॉट नंबर सी 4, ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, गंभीरम गांव, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	जैविक रासायनिक";

(2) तमिलनाडु के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 9 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(ख) क्रम संख्या 29 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“30.	नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णागिरी पंजीकरण सं. 90/एस/एफएसएसएआई/2024 प्लॉट नंबर 98-ए1, 100 और 109, न्यू सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, श्री नगर, कृष्णागिरी, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक”

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./311/2024-25]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 13 जून, 2024 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2024

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(1) under *Andhra Pradesh*, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“8.	Interfield Laboratories, Visakhapatnam Reg. No. 89/S/FSSAI/2024 Plot No. C4, Green Industrial Park, Gambheeram Village, Visakhapatnam, Andhra Pradesh	Biological Chemical”;

(2) under *Tamil Nadu*,

(a) at serial number 9, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted;

(b) after serial number 29, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“30.	Nawal Analytical Labs India Private Limited., Krishnagiri Reg. No. 90/S/FSSAI/2024	Biological Chemical”

Plot No. 98-A1,100 & 109, New SIDCO Industrial Estate, Sri Nagar, Krishnagiri, Tamil Nadu	
--	--

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./311/2024-25]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 13th June, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.